



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937

No. 257]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 318(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 10.10.2014 को सा.का.नि. सं. 715(अ) के द्वारा नियुक्त किए गए श्री दिनेश कुमार, उपसचिव के स्थान पर श्री अभिषेक चन्द्र, उप-सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय को कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 31.03.2016 तक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. कथित नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल बी - 11013/8/2013-एल]

बरुन मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Abhishek Chandra, Deputy Secretary, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust up to 31.03.2016 in place of Shri Dinesh Kumar, Deputy Secretary who was appointed vide G.S.R. No. 715(E), dated 10.10.2014 on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust.

2. The said appointment shall come into immediate effect.

[F. No. LB-11013/8/2013-L]

BARUN MITRA, Jt.Secy.

1813 GI/2015